न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 53/2021/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 09.11.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

पुष्पा बाई पुत्री स्व० मूल्या उर्फ मूलचंद पत्नी स्व० श्री श्रवण जाति कीर, निवासी– रंगपुर हाल निवासी दुर्गा टेन्ट हाउस के पास, जैन मंदिर रोड, सकतपुर, कोटा राज०

.....अपीलांट

बनाम

1. छोटू लाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति कीर
2. लटूर लाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति कीर
3. देवलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति कीर मृतक का0मु0
   - 3/1. बंटी पुत्र स्व० देवलाल
   - 3/2. भगवती पुत्र स्व० देवलाल
   - 3/3. बिरजू उर्फ बृजमोहन पुत्र स्व. देवलाल
   - 3/4. मूर्ति बाई बेरवा देवलाल
4. मुकुट मृतक पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद जाति किर मृतक का0मु0
   - 4/1. भोले पुत्र स्व० मुकुट जाति कीर मृतक कायम मुकाम
     - 4/1/1. सुगना पत्नी भोले जाति कीर
     - 4/1/2. प्रेमशंकर पुत्र भोले नाबालिग जर्येवली माता सुगना
     - 4/1/3. भूरा पुत्र भोले नाबालिग जर्येवली माता सुगना
     - 4/1/4. डाली पुत्री भोले नाबालिग जर्येवली माता सुगना जाति कीर, निवासीगण – रंगपुर, कोटा
   - 4/2. सत्यनारायण पुत्र स्व० मुकुट जाति कीर मृतक का0मु0
     - 4/2/1. काली बाई बेवा सत्यनारायण
     - 4/2/2. मयंक पुत्र स्व० सत्यनारायण आयु 12 वर्ष
     - 4/2/3. शिवम पुत्र सत्यनारायण आयु 10 वर्ष
       नाबालिगान जर्येवली माता काली बाई
   - 4/3. रघुवीर पुत्र स्व0 मुकुट जाति कीर
   - 4/4. पुष्पा बेवा स्व० मुकुट जाति कीर
   - 4/5. दयाराम उर्फ श्योल्या पुत्र स्व0 मुकुट जाति कीर मृतक का0मु0

अति. सं. आयुक्त
कोटा

4/5/1. दीपक पुत्र दयाराम पुत्र श्योल्या
4/5/2. कृष्णा उर्फ विमला पुत्री दयाराम उर्फ श्योल्या
निवासी – ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

5. बाल्या मृतक का0मु0
5/1. शांति लाल पुत्र स्व0 बाल्या जाति कीरे
5/2. मोहन लाल पुत्र स्व0 बाल्या जाति कीर
5/3. घीसी बाई पुत्री स्व० बाल्या जाति कीर
5/4. शांति बाई पुत्री स्व0 बाल्या जाति कीर

6. जगन्नाथ मृतक का0 मु0
6/1. रामलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/2. श्यामलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/3. मुकेश पुत्र स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/4. काली बाई पुत्री स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/5. निलेस पुत्री स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/6. भूली बाई पुत्री स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/7. बिसरी बाई पुत्री स्व० जगन्नाथ जाति कीर
6/8. कमला बाई बेवा जगन्नाथ जाति कीर
निवासीगण – रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

7. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज०

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री रामरतन मीना, अभिभाषक –अपीलांट

::निर्णय::

दिनांक 22.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018(अपील) बउनवान पुष्पा बाई बनाम छोटूलाल वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा ग्राम रंगपुर के नामांतरकरण सं0 75

अति. सं. आयुक्त
कोटा

में पारित आदेश दिनांक 02.06.1989 कि "मुताबिक सजरा खातेदार नेवाराम फौत, रिपोर्ट पटवारी, जांच आई.एल.आर. के कॉलम नं0 9 के इन्द्राज की स्वीकृति है" के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण लगभग 29 वर्ष पूर्व का होने से तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील सं0 7217/2013 उनवान प्रकाश वगे0 बनाम फूलावती वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 अनुसार भूतलक्ष्य के आधार पर पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे अधिकार नहीं दिया जाने से तथा दिनांक 09.09.2005 के बाद ही पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार दिया जाना वर्णित करते हुए प्रश्नगत नामांतरकरण सं 75 दिनांक 02.06.1989 को 29 वर्ष बाद चैलेंज करना सार्थक नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 17.03.2020 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.03.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों पर गौर किये बिना ही उक्त अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी अपीलान्ट के स्व० पिता मूल्या उर्फ मूलचन्द के खाते की आराजी ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे कुल किता 3 रकबा 3.37 है0 भूमि स्थित है। अपीलान्ट के स्व० पिता की मृत्यु के बाद इन्तकाल न0 75 खोला गया है। अपीलान्ट के पिता मूल्या उर्फ मुलचन्द के चार पुत्र छोटूलाल, मुकुट, लटूर, देवलाल एवं अपीलान्टा पुत्री है। स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द का उपरोक्त इन्तकाल खोला गया, उसमे मात्र चारो पुत्रो का नाम अंकित किया गया तथा अपीलान्ट का नाम उक्त इन्तकाल मे नहीं चढाया गया है। जबकि अपीलान्ट स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द जी की जायन्दा पुत्री है तथा हर प्रकार से अपीलान्ट का स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द की आराजी में हक हिस्सा बनता है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हर प्रकार से प्रमाणित कर दिया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के कथन का विरोध किसी भी रेस्पो० ने उपस्थित होकर नहीं किया है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के कथन को स्वीकार नहीं करके निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा एक अपील नामान्तकरण स० 76 के संबंध मे उक्त कथन करते हुये पेश की गई, उक्त अपील को जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 16.01.018 को स्वीकार कर जांच हेतु रिमान्ड की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह पूर्ण रूप से प्रमाणित था कि अपीलान्ट स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द की पुत्री है तथा उसका हक व हिस्सा विवादित

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

आराजी मे है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.03.2020 निरस्त करते हुए नामांतरकरण संख्या 75 निरस्त फरमाया जावे तथ स्व0 मूल्या की छोड़ी हुई आराजी में अपीलांट का नाम 1/5 हिस्सा आराजी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बावजूद सूचना रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि है। अपीलान्ट के स्व० पिता की मृत्यु के बाद प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 75 जो खोला गया है, उसमें उसमे मात्र चारों पुत्रो का नाम अंकित किया गया तथा अपीलान्ट का नाम उक्त इन्तकाल मे नहीं चढाया गया है। जबकि अपीलान्ट स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द जी की जायन्दा पुत्री है तथा हर प्रकार से अपीलान्ट का स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द की आराजी में हक हिस्सा बनता है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक अपील प्रकरण संख्या 105/2016 बउनवान पुष्पा बाई बनाम छोटू वगे0 विरूद्ध नामान्तकरण स० 76 के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के द्वारा दिनांक 16.01.018 को अपील स्वीकार कर मूल्याजी के विधिक वारिसान की पुनः जांच करने हेतु रिमान्ड की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट स्व० मूल्या उर्फ मूलचन्द की पुत्री होने से उसका हक व हिस्सा उक्त आराजी पर बनता हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.03.2020 निरस्त करते हुए नामांतरकरण संख्या 75 निरस्त फरमाया जावे तथ स्व0 मूल्या की छोड़ी हुई आराजी में अपीलांट का नाम 1/5 हिस्सा आराजी में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा ग्राम रंगपुर के नामांतरकरण सं0 75 में पारित आदेश दिनांक 02.06.1989 के विरूद्ध अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण लगभग 29 वर्ष पूर्व का होने से तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील सं0 7217/2013 उनवान प्रकाश वगे0 बनाम फूलावती वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 16.10. 2015 अनुसार भूतलक्ष्य के आधार पर पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति मे अधिकार नहीं दिया

अति. सं. आयुक्त
कोटा

जाने से तथा दिनांक 09.09.2005 के बाद ही पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार दिया जाना वर्णित करते हुए प्रश्नगत नामांतरकरण सं 75 दिनांक 02.06.1989 को 29 वर्ष बाद चैलेंज करना सार्थक नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 17.03.2020 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2020 न्यायोचित प्रकट होता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील सं0 7217/2013 उनवान प्रकाश वगे0 बनाम फूलावती वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2015 के अनुसरण में पारित किया गया है। जिसके अनुसार दिनांक 09.09.2005 के पश्चात् की पैतृक भूमि में पुत्रियों को हक दिया गया है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1989 के नामांतरकरण को 29 वर्ष पश्चात् चुनौती देने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खण्डन में कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किये गये। अपीलांट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होने से कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

22-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा